Phone: +91-120-4390300 (EPABX), Fax: +91-120-4277841 E-mail: rswm.investor@lnjbhilwara.com; Website: www.rswm.in **NOTICE TO SHAREHOLDERS** TRANSFER OF UNPAID DIVIDEND IN RESPECT OF FY 2015-16 AND THE UNDERLYING SHARES ON WHICH DIVIDEND IS UNPAID/ UNCLAIMED FOR 7 (SEVEN) CONSECUTIVE YEARS BEGINNING FY 2015-16 TO THE

Corp. Off.: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida-201301 (U.P)

PLACE

All Editions

Rajasthan; Phone: +91-1483-223144 to 223150, 223478

DATE

26-07-2023

RSWM Limited

The

NAME

Business Standard

RSWM LIMITED

CIN: 17115P11960PLC008216 Registered Office: Kharigram, P.O. Gulabpura-311021, Distt. Bhilwara,

Fax: +91-1483-223361, 223479

IEPF (INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND) Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules 2016") Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules 2016") as amended time to time. The IEPF Rules 2016, amongst

other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed

by the Shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the prescribed manner. In accordance with the Rules, all the underlying shares in respect of which dividend are not paid /claimed for the last 7

(Seven) years from financial year 2015-16, have to be transferred to the Demat account of IEPF Authority. The Company has already sent Individual notices by Speed Post at the latest available addresses of the shareholders, whose dividends are lying unclaimed for last 7 (seven) years,

advising them to claim the dividends expeditiously.

including their names, folio nos. or DP ID/ Client ID, etc. on its websites i.e. www.rswm.in under Investors section. Accordingly, the concerned shareholders are requested to reply and claim their entire unclaimed dividend before due date. The unclaimed dividend for the financial year 2015-16 will be due for transfer on **2**nd **November, 2023.** In case the Company/ Registrar and Transfer agent doesn't receive any communication from shareholders, the Company shall

Company has also uploaded full details of such shareholders

transfer such shares to the Demat account of IEPF Authority with a view to comply with the Rules, 2016. We request you to claim your Dividend before the due date of transfer to avoid transfer of Shares in to IEPF

The concerned Shareholders are requested to put their claim for the unclaimed dividend by sending a formal letter duly

signed by them alongwith following documents: Original cancelled cheque leaf bearing Bank A/c No., Bank

Name, IFSC code and the Name of Shareholder printed over it.

Self-attested copy of PAN. Self-attested copy of Aadhaar/ Passport/ Utility Bill (not older than 3 month old) as address proof.

No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and equity shares transferred to the IEPF Authority.

Shareholders may note that shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares if any, can be claimed back from IEPF authority as per the procedures

prescribed under the Rules. For any clarification on this matter, shareholders may contact Registrar and Transfer Agent; MCS Share Transfer Agent Ltd., (Unit: RSWM Ltd.)

F - 65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020 Phone No. 011-41406149-52, Fax No. 011-41709881 Email Id: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

REQUEST FOR UPDATION OF KYC, PAN, NOMINATION AND BANK ACCOUNT AND OTHER DETAILS:

We hereby further request to all the shareholders to please update their KYC and PAN, e-mail ID, present Address, Bank

account detail, Nomination details including option to 'Optout' if any:

a) With their respective Depository Participants, if shares are

held by them in Demat mode or

b) With Company's RTA, by submitting Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 (as applicable) if shares are held in

Physical mode, in case they have not updated the said details / information. The said forms available on the websites i.e. www.rswm.in under Investors section.

For **RSWM LIMITED** Sd/-**Surender Gupta**

V P Legal & Company Secretary

Date: 25th July, 2023 Place: Noida (U.P.)

FCS: 2615

NAME ACE DATE 26-07-2023 Business Remedies Jaipur Nafa Nuksan 26-07-2023 Jaipur आर एस डब्लू एम लिमिटेड **RSWM Limited** सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216 पंजीकृत कार्यालयः खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा—311021 जिला भीलवाड़ा, राजस्थान फोनः +91–1483–223144 से 223150, 223478, फैक्सः +91–1483–223361, 223479 कॉर्पोरेट कार्यालयः भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.) फोनः +91–120–4390300 (EPABX), फैक्सः +91–120–4277841 ईमेल: <u>rswm.investor@Injbhilwara.com</u>; वेबसाइट: <u>www.rswm.in</u> अंशधारकों हेतु सूचना वित्तीय के संबंध में अदत्त लाभांश वर्ष 2015-16 एवं ऐसे अंतर्निहित अंश जिनपर वित्तीय वर्ष 2015–16 से लगातार 7 (सात) वर्षों से लाभांश अदत्त / गैरदावाकृत है को आईइपीएफ (विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि) में हस्तांतरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 ("आईइपीएफ नियम 2016") और समय–समय पर संशोधित, के प्रावधानों के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है। आईइपीएफ नियम 2016 में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, ऐसे सभी अंशों, जिनके सम्बन्ध में लगातार सात वर्षों से लाभांश की अदायगी अथवा अंशधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल हैं। नियमों के अनुसार, ऐसे सभी अंतर्निहित अंशों को, जिनके सम्बन्ध में गत् ७ (सात) वर्षों, वित्तीय वर्ष 2015–16 से लाभांश की अदायगी / दावा नहीं किया गया है, को आईइपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना है। कम्पनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके लाभांश का दावा गत् (7) सात वर्षों से नहीं किया गया है, को शीघ्र लाभांश का दावा करने हेतु सलाह देते हुए, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर स्पीड-पोस्ट के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना पहले ही प्रेषित कर दी है। कम्पनी ने ऐसे सभी अंशधारकों का पूर्ण विवरण, उनका नाम, फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी सहित, अपनी वेबसाइट अर्थात् <u>www.rswm.in</u> पर भी निवेशक अनुभाग के अन्तर्गत अपलोड कर दिया है। तदनुसार, संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वे उत्तर दें तथा अपने सभी लाभांश का दावा नियत तिथि से पूर्व कर लें। वित्तीय वर्ष 2015—16 हेतु गैरदावाकृत लाभांश 2 नवम्बर, 2023 को हस्तांतरण हेतु देय हो जाएगा। यदि कम्पनी / रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को अंशधारकों से कोई संवाद प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियम, .. 2016 का पालन करने की दृष्टि से कम्पनी ऐसे अंशों को आईइपीएफ के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगी। आईइपीएफ में शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हस्तांतरण की नियत तारीख से पूर्व अपने लाभांश का दावा करें। सम्बद्ध अंशधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित एक औपचारिक पत्र भेजकर गैरदावाकृत लाभांश पर अपना दावा प्रस्तुत करें: मूल रद्द किए गए चेक की प्रति जिसपर बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड एवं अंशधारक का नाम मुद्रित हो। पैन की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि। 2. पता प्रमाण के तौर पर आधार / पासपोर्ट / उपयोगिता बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं) की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि। आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित गैरदावाकृत लाभांश एवं समता अंशों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईइपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी एकत्रित लामों सहित, यदि हो, आईइपीएफ प्राधिकरण से नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, पुनः दावा कर के प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण हेत्, अंशधारक रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं: एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (यूनिटः आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड) एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन नंबर: 011-41406149-52, फैक्स नंबर: 011-41709881 ईमेल आईडीः helpdeskdelhi@mcsregistrars.com KYC, पैन, नामांकन और बैंक खाता एवं अन्य विवरण के अद्यतन करने हेतु अनुरोधः हम सभी अंशधारकों से आगे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपनी केवाईसी एवं पैन, ईमेल आईडी, वर्तमान पता, बैंक खाता विवरण, नामांकन विवरण सहित 'ऑप्ट–आउट' का विकल्प यदि कोई हो तो अद्यतनित करें: अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ, यदि अंश उनके द्वारा क) डीमैट मोड में प्रतिरक्षित हैं या कम्पनी के आरटीए के साथ, फॉर्म ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 (जैसा लागू हो) जमा करके, यदि अंश भौतिक मोड में प्रतिरक्षित हैं, यदि उन्होंने उक्त विवरण / जानकारी अद्यतनित नहीं किया है। उक्त प्रपत्र वेबसाइट ख) अर्थात् www.rswm.in पर निवेशक अनुभाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं। कृते आर एस डब्लू एम लिमिटेड सुरेन्दर गुप्ता वी पी लीगल एवं कम्पनी सचिव दिनांक : 25 जुलाई, 2023 स्थान : नोएडा (उ.प्र.) एफसीएसः 2615